पत्र संख्या बी0एस0-3-10 2930/08 -1635

निबंधन महानिरीक्षक बिहार का कार्यालय

बिहार,पटना

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

केवल सच सामाजिक संस्थान .... के संबंध में ।

पटना,दिनांक 12/8/2009 /

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860 के उपबधो के अनुसार आज यथावत दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया / किये गये ।

फीस का ज्ञाप-50 (पचास रूपये केवल)

संस्था का स्मृति पत्र/नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

सेवा में,
सचिव,
केवल सच सामाजिक संस्थान
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं०-14,
कंकड़बाग, पटना- 800020 (बिहार)

12.8.09
वास्ते महानिरीक्षक निबंधन
बिहार,पटना।

की सेवा में उनके पत्र संख्या ......——...... दिनांक 25/5/09 के प्रसंग में अग्रसारित ।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है प्राप्ति की सूचना दें ।

12.8.09
वास्ते महानिरीक्षक निबंधन
बिहार,पटना।
12/8/09

केवल सच सामाजिक संस्थान का स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम "केवल सच सामाजिक संस्थान" होगा।

2. संस्था का निबंधित कार्यालय :- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग, पटना-8000 20 (बिहार)।

3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

4. उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे।

(क) समाज के अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाने हेतु पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, व्यस्क शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना।

(ख) शहरी, अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निरक्षरता को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करना।

(ग) शहरी, अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों गंदी बस्ती के निवासियों का उत्थान करने की दिशा में कारगर कार्रवाई करना।

(घ) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करना।

(ड.) समाज के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाना एवं इसकी जानकारी देना।

(च) शहरी, अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को आकर्षक बनाने तथा वहाँ के निवासियों का बेहतर जीवन स्तर बनाने के उद्देश्य से सभी तरह के निर्माण, सुलभ शौचालय आदि का कार्यक्रम चलाना।

(छ) सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, कम्पोस्ट आदि का प्रचार-प्रसार करना।

(ज) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करना।

(झ) महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना।

(ञ) ललितकला, संगीत, नृत्य, गायन-वादन, नाटक एवं चलचित्र की उन्नति, प्रसार एवं प्रचार करना एवं प्रदर्शन की व्यवस्था करना।

मिलान किया
12/8/09

(ट) बालकों में आत्म-विश्वास एवं आत्म-सम्मान जागृत करने तथा राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए बाल विकास केन्द्र की स्थापना करना।

(ठ) निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लिए बालबाड़ी, आंगनबाड़ी एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना तथा उनके शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना करना।

(ड) पुस्तकालय, वाचनालय आदि की स्थापना करना।

(ढ़) दहेज-प्रथा के उन्मूलन तथा शादी के अवसर पर अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना।

(ण) नशीली पदार्थो के सेवन के खिलाफ अभियान का कार्यक्रम आयोजित करना, सेमनिार आयोजित करना एवं नशा विमुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

(त) संस्था बेरोजगार युवक युवतियों को टंकण एवं कम्प्यूटर का भी प्रशिक्षण देगी।

(थ) संस्था द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन-समुदाय के लाभ हेतु सभी प्रकार के टीकाकरण का संचालन करना एवं मातृ कल्याण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को पौष्टिक आहार एवं दवा का वितरण करना।

(द) संस्था प्राकृतिक विपत्तियों के समय लोगों के लिए राहत का कार्य करेगी।

(ध) नेत्रहीन, मूक, बधीर, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से अर्धविकसित निराश्रित एवं असहाय बच्चों, महिलाओं एवं पुरूषों के कल्याणार्थ कार्यक्रम चलाना एवं विकलांग, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास की योजनाओं का संचालन करना।

(न) समाज में व्याप्त बालश्रम और बाल-शोषण से छुटकारा दिलाने का काम करना।

(प) वृद्धा आश्रम की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना।

(फ) वह हर काम जिससे समाज और राष्ट्र का हित हो करना तथा करवाने का प्रयास करना।

मिलानकिया
Saty
13/8/09

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है। वर्त्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंधन का भार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम		पिता का नाम/ पता	पेशा/पद	हस्ताक्षर
01.	राजेश कुमार मिश्र		**स्व. गणेश चन्द्र मिश्र** पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14 कंकड़बाग, पटना-20, बिहार	सामाज सेवा **अध्यक्ष**	राजेश कुमार मिश्रा
02.	ब्रजेश मिश्र		**श्री गोपाल मिश्र** पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14 कंकड़बाग, पटना-20, बिहार	सामाज सेवा एवं पत्रकारिता **सचिव**	ब्रजेश मिश्र
03.	अमित कुमार		**श्री बसंत कुमार मिश्र** राम कृष्णा नगर, न्यू बाईपास पो०-जगनपुरा, थाना-रामकृष्णा नगर पटना-27, बिहार	सामाज सेवा एवं पत्रकारिता **कोषाध्यक्ष**	Amit Kr.
02.	शिवानन्द गिरी		**श्री आर. के. गिरी** पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14ए कंकड़बाग, पटना-20, बिहार	अधिवक्ता **सदस्य**	S. N. Giri Adv.
05.	राज कुमार राम		**श्री रामवृक्ष राम** ग्रा०-जेठियारा, पो०- नगला किंजर थाना-परस बिगहा, जिला- जहानाबाद, बिहार	व्यापार **सदस्य**	Raj Kumar Ram
06.	महेश कुमार		**श्री वीरचन्द्र प्रसाद** राम लखन पथ, रोड नं.-08 पूर्वी भोजपुर कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-20, बिहार	सामाज सेवा एवं व्यापार **सदस्य**	Mahesh Kumar
07.	इन्दु मिश्रा	-पति:-	**श्री जगत किशोर मिश्रा** ग्रा+पो०-मेहदावां थाना-मनेर जिला- पटना	सामाज सेवा **सदस्य**	इंदु मिश्रा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया।

अभिप्रमाणित करने वाले का हस्ताक्षर मुहर

N. M. JHA
Executive Magistrate
Birpur (SUPAUL)

(34)

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है। संस्था के स्मृति-पत्र के अनुसार इस संस्था के रूप में भी परिणत होने तथा सोसायटी रजिसट्रेशन एक्ट की धारा 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन का आकांक्षी हूं।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम/ पता	पेशा/पद	हस्ताक्षर
01.	राजेश कुमार मिश्र	स्व. गणेश चन्द्र मिश्र पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14 कंकड़बाग, पटना-20, बिहार	सामाज सेवा अध्यक्ष	राजेश कुमार मिश्रा
02.	ब्रजेश मिश्र	श्री गोपाल मिश्र पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14 कंकड़बाग, पटना-20, बिहार	सामाज सेवा एवं पत्रकारिता सचिव	ब्रजेश मिश्र
03.	अमित कुमार	श्री बसंत कुमार मिश्र राम कृष्णा नगर, न्यू बाईपास पो०-जगनपुरा, थाना-रामकृष्णा नगर पटना-27, बिहार	सामाज सेवा एवं पत्रकारिता कोषाध्यक्ष	Amit Kr.
02.	शिवानन्द गिरी	श्री आर. के. गिरी पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14ए कंकड़बाग, पटना-20, बिहार	अधिवक्ता सदस्य	S.N. Giri Adv
05.	राज कुमार राम	श्री रामवृक्ष राम ग्रा०-जेठियारा, पो०- नगला किंजर थाना-परस बिगहा, जिला- जहानाबाद, बिहार	व्यापार सदस्य	Raj Kumar Ram
06.	महेश कुमार	श्री वीरचन्द्र प्रसाद राम लखन पथ, रोड नं.-08 पूर्वी भोजपुर कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-20, बिहार	सामाज सेवा एवं व्यापार सदस्य	Mahesh Kumar
07.	इन्दु मिश्रा	पति :- श्री जगत किशोर मिश्रा ग्रा+पो०-मेहदावां थाना-मनेर जिला- पटना	सामाज सेवा सदस्य	इन्दु मिश्रा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया।

अभिप्रमाणित करने वाले का हस्ताक्षर मुहर

N. M. JHA
Executive Magistrate
Birpur (SUPAUL)

33

केवल सच सामाजिक संस्थान की नियमावली

01. संस्था का नाम :- **केवल सच सामाजिक संस्थान**

02. परिभाषा :-

(क) संस्था से अभिप्राय है :- केवल सच सामाजिक संस्थान
(ख) समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति
(ग) पदाधिकारियों से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष
(घ) वर्ष से अभिप्राय है :- 01 अप्रैल से 31 मार्च तक
(ङ.) एक्ट से अभिप्राय है :- सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860

03. सदस्यता :- व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की है जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों को निष्ठापूर्वक पालन करते हों वे संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था में प्रत्येक सदस्य को 251 रूपया प्रवेश शुल्क एवं 151 रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा।

04. सदस्यता की समाप्ति :- निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जायेगी।

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।
(ख) पागल या मृत्यु होने पर।
(ग) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।
(घ) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर।
(ङ) बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहने पर।

05. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

(क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित सात सदस्य होंगे।
(ख) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जायेगा।
(ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, निवृत सदस्य चुने जा सकते हैं।
(घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है। लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव कराना होगा। मनोनीत सदस्य पद के अनुरूप कार्य करेंगे, जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया है।

06. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य:-**

(क) संस्था के चल-अचल संपत्ति का उत्तरदायी होगा।
(ख) संस्था के सभी कार्यो का संपादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित कराना।
(ग) उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य संपादित करना।
(घ) उप शाखा का निर्माण करना।
(ङ.) संस्था के उद्देश्यों के पूर्त्ति हेतु विचार-विमर्श करना।
(च) संस्था के प्रति होने वाले नियंत्रण को बरकरार रखना।

07. आमसभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

(क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।

केवल सच सामाजिक संस्थान
ब्रजेश मिश्र
सचिव

(ख) संस्था के आय-व्यय के लेखा-जोखा पर विचार करना तथा नियुक्ति करना।

(ग) अंकेक्षण की नियुक्ति करना।

(घ) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर विचार करना।

08. बैठक :-

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी।

(ख) आमसभा की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में होगी।

(ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

(घ) आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

09. **विशेष बैठक** :-

(क) 1/3 सदस्यों के लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन-पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो उल्लेखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

10. बैठक की सूचना :

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी।

(ख) आमसभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

(ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।

(घ) आमसभा की आवश्यक या विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी।

(ड.) बैठक की सूचना, सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर दी जायेगी।

11. कोरम :- प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी।

12. **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य** :-

अध्यक्ष

(क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

(ख) किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष-विपक्ष में समान मत आने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना।

(ग) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना।

(घ) संस्था के हित के लिए कार्य करना।

सचिव

(क) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

(ख) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना।

(ग) प्रत्येक बैठक का आयोजन करना।

(घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना।

(ड.) संस्था का आय व्यय का अंकेक्षण करना।

(च) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति की सलाह पर करना।

(छ) अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना,

(ज) सरकारी, गैरसरकारी, दान, अनुदान, ऋण एवं सहायता हेतु सम्पर्क एवं प्रयास करना।

(3)

कोषाध्यक्ष

(क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना।

(ख) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क आदि प्राप्त कर प्राप्ति रसीद देना।

(ग) संस्था के कोष को किसी निबंधित बैंक/डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना।

13. आय का स्त्रोत :-

(क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क।

(ख) प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से।

(ग) प्रशिक्षण शुल्क एवं प्राप्त अनुदान से।

14. कोष का संचालन :- संस्था के सभी राशियों को संस्था के नाम से खुले डाकघर/बैंक के खाते में जमा किया जायेगा तथा सभी रकम की निकासी अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी। खाता में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव तीनों का नाम होगा।

15. निधि का अंकेक्षण :-

(क) संस्था के आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रख जायेगा तथा आमसभा के द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से प्रतिवर्ष कराया जायेगा।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से करा सकते हैं। जिसका शुल्क संस्था को वहन करना होगा।

16. पंजी का निरीक्षण :- संस्था की सभी पंक्तियां निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

17. नियमावली में संशोधन :- नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5वां सदस्यों के अनुमति से किया जायेगा।

18. कानूनी कार्रवाई :- संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से होगी।

19. संस्था का विघटन :-

(क) संस्था का घटना संस्था के अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

(ख) आमसभा के 3/5वां सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा।

(ग) संस्था के विघटनोपरान्त जो चल-अचल संपत्ति होगी श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट की हो जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है।

मिलान किया
19/8/05

12.8.09

कोषाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष
	ब्रजेश मिश्र	राजेश कु० मिश्रा